भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2865

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

2865 श्रीमती सागरिका घोष:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवंटित 65,000 करोड़ रुपये में से अब तक राजसहायता के रूप में जारी की गई धनराशि का प्रतिशत कितना है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राजसहायता आवेदनों की अनुमोदन प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय कितना है;

(ग) डीसीआर-अनुरूप सौर मॉड्यूल और इसके आयातित मॉड्यूल के बीच औसत मूल्य अंतर कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर आवासीय रुफटॉप सौर पैनल लगाने की प्रक्रिया को अधिक किफायती बनाने हेतु इस मूल्य अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) की फरवरी, 2024 में शुरुआत से, दिनांक 11.03.2026 की स्थिति के अनुसार, 17885.97 करोड़ रु. की राशि, जो कि योजना के अंतर्गत कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता परिव्यय के 27% से अधिक है, लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

(ख): पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत, आवेदन से सीएफए वितरण तक पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है। सभी विवरण (क्रेडेंशियल्स) को राष्ट्रीय पोर्टल पर सही ढंग से दर्ज करने पर, सीएफए को संसाधित (प्रोसेस) करने में लगने वाला औसत समय उपभोक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लगभग 15 दिन है।

(ग) & (घ): स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित सौर पीवी सेलों का उपयोग करके देश में निर्मित सौर पीवी मॉड्यूल की कीमत आमतौर पर आयातित सौर पीवी सेलों का उपयोग करके देश में निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों की तुलना में अधिक होती है। तथापि, दोनों के बीच मूल्य अंतर कई कारकों तक सीमित न रहकर, उपयोग की गई तकनीक, प्रदर्शन मापदंड, कच्चे माल की खरीद, किफायतता, उपयोगिता लागत, वित्तपोषण लागत, मात्रा और सौर पीवी

मॉड्यूलों का डिलीवरी समय, आदि पर निर्भर करता है। परिणामस्वरूप, कीमतें निर्माता दर निर्माता के साथ-साथ सौर पीवी मॉड्यूल के एक मॉडल से सौर पीवी मॉड्यूल के दूसरे मॉडल में भिन्न हो सकती हैं।

तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार सौर सेलों और मॉड्यूलों के लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नीतियां बना रहा है, जिनमें अन्य के साथ-साथ **अनुलग्नक** में उल्लिखित नीतियां शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य देश में विनिर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों की कीमतों के बीच लागत अंतर को कम करने में विनिर्माताओं को उनकी क्षमताएं बढ़ाने और लागत अंतर को कम करने में सुविधा प्रदान करना है।

'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.03.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2865 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

स्वदेशी सौर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एमएनआरई द्वारा की गई पहलों के विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाः भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड-LC) जारी किए गए हैं।

(ii) स्वदेशी सामग्री आवश्यकता (डीसीआर): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कुछ वर्तमान योजनाओं के तहत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख एवं ग, और पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, इसमें स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद को अनिवार्य किया गया है।

(iii) सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा-शुल्क लगानाः सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(iv) सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं (कैपिटल गुड्स) पर सीमा शुल्क की छूट देना: सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माताओं के लिए अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क दिनांक 24 अक्टूबर 2025 की सूची 18 में निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी है।
